10 COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

157

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल,ग्वालियर (म.प्र.)

नवीन प्रकरण: 562/2010

प्र. क्र. अपील 562/I/10

प्रार्थी/अभिभाषक श्री आनिल बरोठ द्वारा प्रस्तुत दिनांक 15.4.10

1. रेशमाबाई विधवा अमरसिंह
2. कैलाश बाई विधवा अमरसिंह

निवासीगण– ग्राम कोहलिया तह. शुजालपुर जिला शाजापुर

——————— अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. विजयसिंह पिता प्रेमसिंह
2. मोतीसिंह पिता प्रेमसिंह
3. हरिसिंह पिता प्रेमसिंह

समस्त निवासीगण– ग्राम कोहलिया तह. शुजालपुर जिला– शाजापुर

——————— प्रत्यार्थीगण

कार्यालय उज्जैन संभाग से दिनांक 23.4.10 को वैध अभ्यर्थी पद प्राप्त किया। 23.4.10

अपील अन्तर्गत धारा 44( ) म.प्र. भु–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

प्रार्थीया की ओर से निम्नलिखित अपील आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

यह कि, विजयसिंह, मोतीसिंह तथा हरिसिंह की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील 44 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी। जो प्रकरण क्रमांक 11/अपील/05–06 में दर्ज होकर दिनांक 22/10/2008 को निर्णय पारित किया है। इस निर्णय के विरूद्ध अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, अपीलांट ग्राम कोहलिया के कृषक अमरसिंह पिता सेवाराम की विधवा पत्नियां है, अपीलांट के पति मृतक अमरसिंह पिता सेवाराम की ग्राम कोहलिया स्थित कृषि भूमि कुल कीता 16 रकबा 9.263 हैक्टेयर भूमि थी।

2. यह कि, अपीलांट के पति की मृत्यु दिनांक 16/03/2005 को हो जाने पर अपीलांटगण द्वारा अपने पति की खाते की आधिपत्य की कृषि भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें रेस्पोडेंटगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर नामांतरण विवादित होने से ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण आवेदन विचारार्थ नायब तहसीलदार टप्पा अकोदिया तह. शुजालपुर को भेजा गया था।

3. यह कि, नायब तहसीलदार ने प्रकरण कायमी कर कायमी प्रकरण 6/अ–6/04–05 कर अनावेदकगण के पक्ष में दिनांक 26/07/05 को आदेश पारित कर रेस्पोडेंटगण के हित में आदेश पारित किया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की थी। जो प्रकरण क्रमांक 46/अपील/04–05 पर दर्ज की गई। जिसमें

निरन्तर ———2

(154)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(107)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-562-एक/2010

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 19-10-2016 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	